

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1844

दिनांक 23/08/22

प्रार्थीगण :-

- 1.चेनाराम 2. किरताराम 3.खेराजराम
- 4.हेमाराम पि. सोनाराम, जाति जाट
- निवासी रणजीतपुरा (शोभाला जेतमाल)
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

- 1.हेमाराम पुत्र मोटाराम 2.खेताराम पुत्र भलाराम
- 3.मघाराम पुत्र गुमनाराम, जाति जाट 4.नवलाराम
- पुत्र रायधनराम 5.वरजूदेवी पत्नि टीकमाराम, जाति
- मेघवाल 6.तनसिंह 7.बलवंतसिंह पि.हड़वंतसिंह
- 8.सवाईसिंह पुत्र समरथसिंह 9.खमाकंवर पत्नि
- समरथसिंह 10.नरपतसिंह पुत्र चंदनसिंह,
- जाति राजपूत, निवासी रणजीतपुरा (शोभाला जेत.)
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 52/2019

दिनांक : 23.08.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र शोभाला जेतमाल के मौजा रणजीतपुरा के खेत खसरा सं. 42, 50, 225/44, 226/44, 506/44, 510/44, 513/42, 514/42, 518/50, 507/44, 511/44, 515/42, 516/42, 519/50, 505/44, 509/44, 512/42, 517/50 रकबा क्रमशः 25.04, 25.10, 17.00, 12.10, 17.00, 12.10, 18.07, 06.17, 25.10, 17.00, 12.10, 18.07, 06.17, 25.10, 17.00, 12.10, 25.04, 25.10 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सर्वे न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1845 to 1848

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण चेनाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हेमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

23/08/22



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन